न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

ईसराराम पुत्र हकाराम

जाति आर - चि. थापकार

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

कुम्भाराम, वगताराम वगैरह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री ईसराराम स्वंय वादी।
2. श्री वगताराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 11-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 276, 355/41, 301/274 रकबा कुल 271-10 व 87-03 बीघा, सरहद मौजा थापकार तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ईसाराम होने से राजस्व रेकर्ड में ईसाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 780354983484 जन ~~आधार कार्ड संख्या~~ पेन कार्ड, बेंक खाता मतदाता परिचय पत्र संख्या RJ/23/176/171400 ~~राशनसंख्या~~ राशन कार्ड संख्या ×

ईसरा पुत्र हका दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम ईसाराम के स्थान पर ईसराराम सही नाम अंकित करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकवाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......ईशाराम...... के स्थान पर ......ईसराराम...... .... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 355/41, 381/274, 276 रकबा ......कुल 271.10 व 87.03...... बीघा, सरहद मौजा ......लाम्बार...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......ईशाराम...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......ईशाराम...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......ईसराराम...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 355/41, 381/274, 276 ...... रकबा ......कुल 271.10 व 87.03...... बीघा, सरहद मौजा ......लाम्बार...... ...... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......ईशाराम...... पुत्र ......ईश्वर...... .... के स्थान पर ......ईसराराम...... पुत्र ......ईश्वराराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......11.10.2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट......पचपदरा...... में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni (नरेश सोनी)
Date: 2022.05.14 18:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner